निर्णय बइजलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान निर्णय दिनांक 24/06/2022

प्रकरण संख्या 01/दावा/19 तारीख दायरा 05.02.2019

ऑनलाइन प्रकरण संख्या 2019/00002

उनवान

तुलसीराम पिता भवरलाल जाति लोधा निवासी टोडरी मीरा तहसील मनोहरथाना –वादी

बनाम

1 रामचरण पिता राधकिशन जाति लोधा निवासी टोडरी मीरा तहसील मनोहरथाना

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना – प्रतिवादीगण

वाद धारा 183 ,188 आर.टी.एक्ट

निर्णय

उपस्थित वकील वादी – श्री कैलाश चन्द वैष्णव दिनांक 24.06.2022

पत्रावली पेश हुई संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183,188 राज0टी0एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम टोडरी मीरा पटवार हल्का टोडरी मीरा तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 377 पुरानी 344 की खसरा न0 क्रमशः 887 की 16 बिस्वा, 896 की 1 बीघा 17 बिस्वा, 1317/594 की 1 बीघा 18 बिस्वा, 1351/900 की 2 बीघा कुल 4 किता की 6 बीघा 11 बिस्वा आराजी वादी के खातेदारी की आराजी दर्ज है वर्णित आराजी वादी के खातेदारी की आराजी है जिस पर प्रतिवादी न01 ने जबरन खसरा नम्बर 1317/594 की 1 बीघा 18 बिस्वा आराजी पर कब्जा कर लिया है तथा उक्त आराजी पर अब प्रतिवादी न01 निर्माण कार्य करने पर आमदा है जिसका कि उसको कोई कानूनी हक एवं अधिकार नही है वर्णित आराजी मे से खसरा नम्बर 1317/594 की 1 बीघा 18 बिस्वा आराजी पर पक्का निर्माण कार्य कर लिया तो वादी को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार के धन से नही हो सकेगी ओर वादी को व्यर्थ ही मुकदमेबाजी में उलझा रहना पडेगा इसलिये वादी प्रतिवादी न01 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1317/594 की 1 बीघा 18 बिस्वा आराजी को वादी ने विक्रेता श्रीलाल, गुलाबचन्द, जमनालाल,व बद्रीलाल पिता भवरलाल से दिनांक 11.05.2018 को खरीद कि थी जब से उक्त आराजी पर वादी का ही हक एवं अधिकार कब्जा चला आ रहा है वर्णित आराजी के खसरा नम्बर 1317/594 की 1 बीघा 18 बिस्वा आराजी पर प्रतिवादी न0 1 ने कब्जा कर के उक्त आराजी पर पक्का निर्माण कार्य करवाने की वादी को धमकी दी तथा प्रतिवादी न01 से वादी ने कब्जा हटाने एवं निर्माण कार्य करने बाबत मना करने पर अन्तिम बार दिनांक 01.02.2019 को प्रतिवादी न01 ने उक्त आराजी खसरा नम्बर 1317/594 की 1 बीघा 18 बिस्वा आराजी पर मटेरियल डलवाकर/निर्माण कार्य करने पर आमदा हो जाने से वाद उत्पन्न हुआ है। अतः प्रतिवादी 1

को उक्त वर्णित आराजी से बेदखल कर कब्जा आराजी नापकर वादी को संभलाया जावे। इस आशय बाबत वाद डिकी किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी नम्बर 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रतिवादी नम्बर 1 की ओर से वकील श्री केशरीसिह द्वारा वकालत नामा प्रस्तुत किया गया। वकील प्रतिवादी को समुचित अवसर प्रदान करने व जवाब हेतु अन्तिम अवसर प्रदान करने के बाद भी जवाब प्रस्तुत नही करने के कारण जवाब प्रतिवादी बन्द किया जाता है। वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी का कथन है कि ग्राम टोडरी मीरा पटवार हल्का टोडरी मीरा तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 377 पुरानी 344 की खसरा न0 क्रम I: 887 की 16 बिस्वा, 896 की 1 बीघा 17 बिस्वा, 1317/594 की 1 बीघा 18 बिस्वा, 1351/900 की 2 बीघा कुल 4 किता की 6 बीघा 11 बिस्वा आराजी वादी के खातेदारी मे दर्ज है वर्णित आराजी वादीं के खातेदारी की आराजी है जिस पर प्रतिवादी न01 ने जबरन खसरा नम्बर 1317/594 की 1 बीघा 18 बिस्वा आराजी पर कब्जा कर लिया है अतः प्रतिवादीगण 1 को उक्त वर्णित आराजी से बेदखल कर कब्जा आराजी नापकर वादी को संभलाया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया वर्णित आराजी वादी की खातेदारी आराजी है जिस पर प्रतिवादी का कब्जा बहैसियत है। वाद के प्रमाण मे नकल जमाबन्दी ग्राम टोडरीमीरा संवत 2072-75 की खाता संख्या नया 377 पुराना 344 पेश किया गया है जिसके अवलोकन से वाद वादी डिकी किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादी डिकी किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम टोडरी मीरा पटवार हल्का टोडरी मीरा तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 377 पुरानी 344 की खसरा न0 क्रम I: 887 की 16 बिस्वा, 896 की 1 बीघा 17 बिस्वा, 1317/594 की 1 बीघा 18 बिस्वा, 1351/900 की 2 बीघा कुल 4 किता की 6 बीघा 11 बिस्वा आराजी में से खसरा नम्बर 1317/594 की 1 बीघा 18 बिस्वा आराजी पर से प्रतिवादी 1 को बेदखल कर कब्जा आराजी नापकर वादी को संभलाया जावे। डिकी जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2022 सरे इजलास टंकण करवाया जाकर सुनवाया गया।

(श्री अभिषेक [illegible] आई.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना

डिक्री मुकद्मात इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

निर्णय बइजलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान निर्णय दिनांक 24/06/2022

प्रकरण संख्या 01/दावा/19

तारीख दायरा 05.02.2019

उनवान

1. तुलसीराम पिता भंवरलाल जाति लोधा निवासी टोडरी मीरा तहसील मनोहरथाना

–वादी

बनाम

1. रामचरण पिता राधकिशन जाति लोधा निवासी टोडरी मीरा तहसील मनोहरथाना
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना

– प्रतिवादी

<u>वाद धारा 183,188 आर.टी.एक्ट</u>

आज यह मुकद्मा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ **अभिषेक चारण** (आर0ए0एस0) बहाजरी **वकील** वादी श्री कैलाश चन्द वैष्णव मिन जानिब मुद्दालय -------- ने पेश होकर आदेश **दिया** जाता है कि:–

ग्राम टोडरी मीरा पटवार हल्का टोडरी मीरा तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या **नया** 377 पुरानी 344 की खसरा न0 क्रम I: 887 की 16 बिस्वा, 896 की 1 बीघा 17 बिस्वा, **1317**/594 की 1 बीघा 18 बिस्वा, 1351/900 की 2 बीघा कुल 4 किता की 6 बीघा 11 **बिस्वा** आराजी में से खसरा नम्बर 1317/594 की 1 बीघा 18 बिस्वा आराजी पर से प्रतिवादी **1 को** बेदखल कर कब्जा आराजी नापकर वादी को संभलाया जावे।

आज दिनांक 24.06.2022 को हमारे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांक से जारी कि गई।

श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड